कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 13 / 2ई.व.प्र   दिनांक 3 /01/ 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– **जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा (ठांगा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4905 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 13 / 2018 / एफ0सी0 / 2199 दिनांक 18.02.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.931है0 ग्राम–दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.931 है0 ग्राम दुलम, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 54,52,949.00 मात्र (रू0 चौवन लाख बावन हजार नौ सौ उनपचास मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR SBIN219323049666 DTD 19.11.2019 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 8.931 है0 ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 87 / छब्बीस–09 वन / 2018–19 दिनांक 11.06.2019 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–346 / र0का0 / व0भू0 / 2019 दिनांक 26.04.2019 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है।(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR SBIN219323049666 DTD 19.11.2019 द्वारा रू0 54,52,949.00 जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।

Received 03/1/23 बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR SBIN219323049666 DTD 19.11.2019 द्वारा रू0 54,52,949.00 जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt. will submit Original hard copy of Part-I & Part-II duly C.S. by DFO.	Original hard copy of Part-I & Part-II duly C.S. by DFO is submitted already in your kind establishment.

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,
28.12.2022
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
[illegible]
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष-0135-[illegible]809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- [illegible]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- [illegible]

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/13/2018/एफ0सी0/[illegible] दिनांक: 1[illegible]/02/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा (ठांगा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4905 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक– 851/ FP/UK/ROAD/16778/2015 दिनांक 03.0[illegible].2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/16778/2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, [illegible] के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर [illegible] (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तुत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त [illegible] – बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा (ठांगा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4905 है0 वन भूमि का [illegible] को प्रत्यावर्तन किए जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करता है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.981 है0 ग्राम–दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा; भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को ई-पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने [illegible] पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit original hard copy of Part-I and Part II duly C/S by DFO.

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

उपरावत्त सभी शर्तों के परिपूर्ण [illegible] बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर [illegible] (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत [illegible] जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या [illegible] कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.981 है0 ग्राम–दुलम सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 593 से अधिक न हो।
10. सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्पर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–413/र०का०/वन भू०ह०/2019 दिनांक 18 जून 2019

बंडी. नं. 1513
डायरी नं. 2 E
दिनांक 21.6.2019
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– **जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत देवीनगरधामपुर तुसरेड़ा–ढांगा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.4905 है० की दुगुनी अवनत भूमि 8.981 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या– 87/छब्बीस– 09 वन/2018–19 दिनांक 11/06/2019 के अनुपालन में ग्राम दुलम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 47 के पैमायशी खेत नं० 4637 रकवा 14.625 है० मध्ये 8.981 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :–

(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

वन भूमि सहायक

तहसीलदार
कपकोट।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

उद्धरण सं० ज०वि० खतौनी

ग्राम- दुलम रा० कृ० नि० क्षेत्र- लोहारखेत तह- कपकोट जनपद- बागेश्वर

श्रेणी- ६ (३) ख

खा० खा० संख्या	नाम खातेदार		खेत नम्बर	रकबा हे० मे		अन्य विवरण
047	जंगल		2622	0.745		मु० का० श्रीमान जि० अ० महोदय कार्या० का प० 01/स्वीकृत वन/अभिलेखागार/0 03 दि० 24/4/03 के F.P.I एवं नापा के पास खेत नम्बरवार रिकार्ड न मिलने पर नापा के अनुसार [illegible] की खा०नं० 46 जंगल खा०नं० 47 [illegible] 48 [illegible] से कुल 154.990 हे० में [illegible] नामांकन किया है। ह० अ० लोहारखेत 27/5/03
			2623	2.158		
			2624	5.438		
			2625	2.250		
			क्रमशः			
			4633	10.188		
			4634	4.375		
			4635	6.125		
			4636	14.625		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय का प० 87/स्वीकृत/09 वन/18 दिनांक 13/06/2019 एवं शासनादेश संख्या 2174/XVIII(II)2012-18(120)2012 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 तथा पत्रांक [illegible]/06/12/2018/[illegible]/219 दिनांक 18.02.2019 से दी गयी शर्तों अधीन उक्त खाते के [illegible] खेत नं० 4637 मध्ये 8.981 हे० भूमि [illegible] वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जाता। [signature] 14/6/19 रा०नि० लोहारखेत
			4637	14.625		
			क्रमशः			
			4653	1.313		
			4655	6.625		
	योग		29	162.193		

महोदय,
खतौनी से तैयार किया।

P.C. Attested
[signature]
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

सत्यापित।
[signature]
तहसीलदार
तहसील कपकोट

[signature] 14/6/19
[illegible stamp] लोहारखेत

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/संस्तुति के आधार पर जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अंतर्गत देवीनगर(धामपुर) तुसरेड़ा–ठांगा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.4905 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 8.981 है0,जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या –47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4637 रकवा 14.625 है0 मध्ये 8.981 है0 जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज है,को शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)2012–18 (120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या–08बी/यू.सी.पी./06/13/2018/एफ0 सी0/2199 दिनांक 18.02.2019 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित्त/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या –87/ छब्बीस –09 वन /2018–19 दिनांक 11 /06/ 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,प्रान्तीय खण्ड ,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

वन भूमि सहायक

12/6/19

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2019

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116778596
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/13/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	5452949/-

Amount in Words :Fifty-Four Lakh Fifty-Two Thousand Nine Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896116778596 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2019

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116778596
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/13/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	5452949/-

Amount in Words :Fifty-Four Lakh Fifty-Two Thousand Nine Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896116778596 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

UTR. No - SBIN 21932304
9666

SBIN. 219323049666

Dt - 19-11-2019.

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रपत्र– 51

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर

2.13

प्रपत्र सं0– 46.1

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

P.C. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर